कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–05.06.2020

वर्तमान में कोविड 19 की विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण के कारण सत्र संबंधी अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की सुनवाई की जा रही है। इसी प्रकार रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा चाईल्ड फ्रेंण्डली न्यायालय में रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही एवं सुपुर्दगी आवेदन–पत्रों की सुनवाई की जा रही है। अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के समय कुछ अधिवक्तागण/पक्षकारगण न्यायालय परिसर के बाहर खड़े रहते है। बारिश का मौसम होने से उन्हे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अधिवक्तागण/पक्षकारगण को बारिश के मौसम में बैठने के लिये न्यायालय परिसर के फर्स्ट फ्लोर में कुर्सिया लगाई जावे, जिसमें अपर सत्र न्यायालय/रिमाण्ड न्यायालय में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु आये अधिवक्तागण/पक्षकारगण सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे।

अपर सत्र न्यायाधीश/रिमाण्ड न्यायालय से अधिवक्ता/पक्षकार को बुलाये जाने हेतु उन्हे मोबाईल फोन के माध्यम से सूचित किया जावे, ताकि आवश्यकता होने पर वे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके।

5/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 क्रमांक–क्यू–1/2020 उज्जैन, दिनांक–05.06.2020

प्रतिलिपि–

1 समस्त न्यायाधीशगण, न्यायालय, उज्जैन
2 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन
3 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
4 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
5 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6 जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)